आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–66 / 2023

12.02.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजुर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के 30.01.2024 के आदेश का आनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। इस बीच सुनवाई में उपस्थित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी ने पत्रांक 158 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से आयोग को ये बताया है कि आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन की दिशा में सहायक निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी को ये निर्देश देता है कि 15 दिनों के अन्दर यदि लाभुक को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बची हुई राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आयोग कार्य में लापरवाही बरतने के आधार पर उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अग्रेतर कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पूर्व में कई अवसर दे चुका है। अतः अगली सुनवाई तक यदि लाभुक को राशि निर्गत नहीं किया गया तो आयोग अगली सुनवाई में एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

G:\Rachana jsfc\Court order.docx31

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267